13.5.23	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। जवाब सरकार प्राप्त हो चुका है, मुताबिक जवाब सामाजिक कारण से आवेदक प्रभावित नहीं है। वकील पक्षकारान द्वारा वाद, वादी स्वीकार करने में सहमति जाहिर की गई। अतः पत्रावली का निस्तारण

बउनवान .... बनाम ....

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	किया जाता, पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारों के अभिवचनों, रिकार्ड, दस्तावेज के अनुसार लोक अदालत की भावना से दावा वादी स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद, वादी स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री किया जाता है, पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉगोद जिला कोटा।
बइजलास दिव्यराजसिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 1/2023 दावा/बउनवान/सोमेन्द्रसिंह/आदित्यदेव वगैरा

सोमेन्द्रसिंह पुत्र आदित्यदेव जाति चारण निवासी ग्राम थूनपुर तहसील सॉगोद जिला कोटा।
—वादी—

—बनाम—

1. आदित्यदेव पुत्र माधोसिंह जाति चारण निवासी ग्राम थूनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा,
2. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा। —प्रतिवादी—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::— दिनॉक :— 13/5/2023

वादी ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी क्रं. 1 के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 344 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 346 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नंबर 347 रकबा 3.30 हैक्टर, खसरा नंबर 348 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 349 रकबा 2.68 हैक्टर, खसरा नंबर 356 रकबा 2.68 हैक्टर, खसरा नंबर 357 रकबा 2.55 हैक्टर, खसरा नंबर 358 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नंबर 359 रकबा 0.41 हैक्टर कुल किता 9 की कुल 12.65 हैक्टर आराजी वाके ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। वादीगण व प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा अपने—अपने हिस्से मुताबिक वादग्रस्त आराजी का मौके पर आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है व मौके पर वादी व प्रतिवादी क्रं. 1 पृथक—पृथक काश्त करते चले आ रहे हैं किन्तु मुताबिक विभाजन राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने के कारण वादी को अपने हिस्से व कब्जेकाश्त की आराजी का पृथक उपयोग—उपभोग करने एवं सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। पक्षकारान मुताबिक विभाजन मौके पर निम्न प्रकार से पृथक—पृथक काश्त करते चले आ रहे हैं :—

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी सोमेन्द्रसिंह :—

ग्राम	ख.नं.	रकबा
मण्डीता	346	0.40 हैक्टर
	347	3.30 हैक्टर
	348	0.04 हैक्टर
	349	2.68 हैक्टर
	कुल किता 4 की	कुल 6.42 हैक्टर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉगोद, जिला- कोटा

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 1 आदित्यदेव :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
मण्डीता	344	0.24 हैक्टर
	356	2.68 हैक्टर
	357	2.55 हैक्टर
	358	0.35 हैक्टर
	359	0.41 हैक्टर
	कुल किता 5 की	कुल 6.23 हैक्टर

यह कि वादी ने वादपत्र में यह भी अंकन किया कि मौके के आपसी पारिवारिक विभाजनानुसार राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन करवाने के लिए वादी द्वारा गत सप्ताह प्रतिवादी कं. 1 से निवेदन किया तो उन्होने तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर खाता विभाजन में सहयोग करने से इन्कार कर दिया। यदि वादग्रस्त आराजी में निहित वादी की हिस्सा आराजी का खाता व लगान पृथक नहीं किया जाता है तो वादी को अपरिमित क्षति व असुविधा का सामना करना पडेगा। ऐसी परिस्थितियों में वादी के लिए वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन करवाने हेतु माननीय न्यायालय में यह वादपत्र संस्थित करना आवश्यक हो गया है। वादकारण गत सप्ताह वादी द्वारा प्रतिवादी से तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर खाता विभाजन करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादी कं. 1 द्वारा विभाजन में सहयोग करने से इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ। माल ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद में स्थित वादग्रस्त आराजी का वादपत्र की चरण संख्या 2 के खण्ड अ, ब में वर्णित आपसी सहमति के विभाजनानुसार पक्षकारान का खाता व लगान पृथक–पृथक अंकित किये जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर मौके पर पत्थरगढी कर सीमांकन किया जावे।

वादी की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी आदित्यदेव ने उपस्थित होकर इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर दावा वादी स्वीकार कर डिक्री करने में सहमति व्यक्त की। पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारों के अभिवचनों, रेकार्ड, दस्तावेजात के अनुसार दावा वादी स्वीकार करना उचित समझता हूं।

अतः दावा वादी स्वीकार कर माल ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद में स्थित वादग्रस्त आराजी का वादी व प्रतिवादी कं. 1 को निम्न प्रकार से पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी सोमेन्द्रसिंह :—

ग्राम	ख.नं.	रकबा
मण्डीता	346	0.40 हैक्टर
	347	3.30 हैक्टर
	348	0.04 हैक्टर
	349	2.68 हैक्टर
	कुल किता 4 की	कुल 6.42 हैक्टर

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 1 आदित्यदेव :—

ग्राम	ख.नं.	रकबा
मण्डीता	344	0.24 हैक्टर
	356	2.68 हैक्टर
	357	2.55 हैक्टर
	358	0.35 हैक्टर
	359	0.41 हैक्टर
	कुल किता 5 की	कुल 6.23 हैक्टर

उक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान पृथक—पृथक अंकित किया जाकर खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिकी मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 13/5/2023 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद, जिला- कोटा

(दिव्यराजसिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बइजलास – दिव्यराजसिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 1/2023 दावा/बउनवान/सोमेन्द्रसिंह/आदित्यदेव वगैरा

सोमेन्द्रसिंह पुत्र आदित्यदेव जाति चारण निवासी ग्राम थूनपुर तहसील सॉंगोद जिला कोटा।
–वादी–

—बनाम—

1. आदित्यदेव पुत्र माधोसिंह जाति चारण निवासी ग्राम थूनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा,
2. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉंगोद जिला कोटा। –प्रतिवादी–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53, 209 आर0 टी0 एक्ट, मि.नं. 1/2023

तारीख फैसला दिनांक .... यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....बहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ... दावा वादी स्वीकार कर माल ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद में स्थित वादग्रस्त आराजी का वादी व प्रतिवादी कं. 1 को निम्न प्रकार से पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी सोमेन्द्रसिंह :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
मण्डीता	346	0.40 हैक्टर
	347	3.30 हैक्टर
	348	0.04 हैक्टर
	349	2.68 हैक्टर
	कुल किता 4 की	कुल 6.42 हैक्टर

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 1 आदित्यदेव :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
मण्डीता	344	0.24 हैक्टर
	356	2.68 हैक्टर
	357	2.55 हैक्टर
	358	0.35 हैक्टर
	359	0.41 हैक्टर
	कुल किता 5 की	कुल 6.23 हैक्टर

...जिस्ट्रेट
...कोटा

उक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान पृथक–पृथक अंकित किया जाकर खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज ——— मुबलिग

———————— बाबत ———————— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ———————— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———————— का अदा करे। सब गेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख को जारी की गई।

(दिव्यराजसिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

मुदई	रूपया	पैसै	मुददायलह	रूपया	पैसै
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

(दिव्यराजसिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा